रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082026-275841
CG-DL-E-27082026-275841

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4595] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 27, 2026/भाद्र 5, 1948
No. 4595] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 27, 2026/BHADRA 5, 1948

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2026

का.आ. 4780(अ).— औषध विभाग द्वारा औषध (मूल्य नियंत्रण), 2013 के पैरा 31 के अंतर्गत पारित इसमें नीचे सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट आदेशो के द्वारा जारी पुनर्विलोकन आदेशो के संदर्भ में दिये गए निर्देशो के कार्यान्वयन में और भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का. आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 और का. आ. 5249(अ) तारीख 11 नवम्बर, 2022 के साथ पठित औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5,11 and 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सारणी के स्तंभ (7) में विनिर्दिष्ट मौजूदा का.आ. संख्या और तारीख, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, (राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) के आदेशो के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय, अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप् में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3), (4) और (8) में क्रमश: तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट खुराक रूप एवं प्रबलता, इकाई और

विनिर्माता और विपणन कंपनी सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक पर लागू वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर खुदरा मूल्य के रूप् में नियत करती है:

सारणी

क्र. स.	**दवाइयाँ**	**खुराक रूप एवं प्रबलता**	**इकाई**	**खुदरा मूल्य (रु.)**	**पुनर्विलोकन आदेश सं. एवं तारीख**	**मौजूदा का.आ. संख्या और तारीख**	**विनिर्माता और विपणन कंपनी**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**
1.	पैरासिटामोल, फिनाइलफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट और मेन्थॉल सस्पेंशन	प्रत्येक 5 मिली (चम्मच) में शामिल हैं: पैरासिटामोल आईपी 250 मिग्रा फिनाइलफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 5 मिग्रा क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट आईपी 2 मिग्रा अमोनियम क्लोराइड आईपी 120 मिग्रा सोडियम साइट्रेट आईपी 60 मिग्रा मेन्थॉल आईपी 1 मिग्रा	1 मिली	0.70	31015/06/2025-मूल्य निर्धारण (ई-36772) तारीख 21.05.2026	3563(अ) तारीख 01.08.2025 (क्र. स. 36)	मेसर्स विंडलास बायोटेक लिमिटेड / मेसर्स बायोलॉजिकल ई. लिमिटेड

नोट:

(क) उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन के निर्माता स्तंभ (8)अर्थात जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(1)(यू) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (5) मे विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित कर सकता है।

(ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) मे वर्णित खुदरा कीमत पर सरकार को वास्तव मे भुगतान किया है तो वे वस्तु एव सेवा कर को जोड़ सकते है ।

(ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 मे दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) मे विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें । निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म V में अधिसूचना की तारीख से एक मूल्य सूची एनपीपीए को आईपीडीएमएस के माध्यम से जारी करें तथा उसकी प्रति राज्य औषधि नियंत्रकों और विनिर्माता वितरकों को जारी करें।

(घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के 24 (4) के अनुसार प्रत्येक फुटकर विक्रेता और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्श के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सुस्पष्ट भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को प्रदर्शित करेगा।

(ङ) उपर्युक्त उल्लिखित खुदरा मूल्य केवल ऊपर उल्लिखित विनिर्माता/विपणनकर्ता पर ही लागू होंगे, जो संबंधित फॉर्मूलेशन के जेनेरिक/उसी संघटन एवं प्रबलता वाले किसी भी ब्रांड के लिए हैं, बशर्ते कि संबंधित विनिर्माताओं/विपणन कंपनियों द्वारा सरकार द्वारा संबंधित अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत निर्धारित सभी लागू वैधानिक अपेक्षाओं का पालन किया गया हो, जिसमें सक्षम प्राधिकारी अर्थात् केंद्रीय/राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी, जैसा भी लागू हो, से विनिर्माण लाइसेंस/अनुमति प्राप्त करना भी शामिल है।

(च) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती है तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(छ) इस आदेश में उपरोक्त तालिका के कॉलम (3) और (8) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में निर्दिष्ट विनिर्माण और विपणन कंपनियों की स्ट्रेंथ और नाम के साथ, उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट ऐसे फॉर्मूलेशन के खुदरा मूल्य के निर्धारण के परिणामस्वरूप,

कॉलम (2), (3) और (8) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में यथा निर्दिष्ट उस विनिर्माण और विपणन कंपनियों के लिए निर्दिष्ट स्ट्रेंथ के साथ फॉर्मूलेशन के खुदरा मूल्य को निर्धारित करने वाले कोई मूल्य आदेश यदि इस अधिसूचना से पहले जारी किए गए हो, तो उसे इसका स्थान लिया माना जाएगा।

[का.सं./282/150/2026/एफ़/फा. सं. 8(150)/2026/डीपी/एनपीपीए-डिवी-II]

भीवा राम यादव, सहायक निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)

ORDER

New Delhi, the 27th August, 2026

S.O. 4780(E).— In implementation of directions of review order issued by the Department of Pharmaceuticals (DoP) under para 31 of Drugs (Prices Control) Order, 2013 vide order specified in column (7) of the table below and in exercise of the powers conferred by paragraphs 5,11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 and S.O. 5249(E) dated 11th November, 2022 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (National Pharmaceutical Pricing Authority) S.O. No. and date specified in the Column (7) of the table, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA), hereby fixes, the price as specified in column (5) of the table herein below as the retail price, exclusive of Goods and Services Tax, if any, in relation to the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength, unit and name of manufacturer & marketing company, as specified in the corresponding entries in columns (3), (4) and (8) thereof;

TABLE

S. No.	Name of the Formulation	Dosage form & Strength	Unit	Retail Price (Rs.)	DoP Review no. & Date	Existing SO number & date	Manufacturer & Marketing Company respectively
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Paracetamol, Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Ammonium Chloride, Sodium Citrate & Menthol suspension	Each 5ml (teaspoonful) contains: Paracetamol IP 250 mg Phenylephrine Hydrochloride IP 5 mg Chlorpheniramine Maleate IP 2 mg Ammonium Chloride IP 120 mg Sodium Citrate IP 60 mg Menthol IP 1 mg	1 ml	0.70	31015/06/2025-Pricing (E-36772) dated 21.05.2026	3563(E) dated 01.08.2025 (at Sl. No. 36)	M/s Windlas Biotech Limited / M/s Biological E. Limited

Note:

(a) The manufacturer as specified in column (8), of the above mentioned formulations i.e. "new drug" under paragraph 2(1)(u) of the DPCO, 2013 may revise the retail price as specified in column (5) of the table hereinabove.

(b) The manufacturer may add Goods and Services Tax only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in column (5) of the above said table.

(c) The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form–V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State Drug Controller and dealers.

(d) As per para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.

(e) The above mentioned retail prices are applicable only to the manufacturer / marketer as mentioned above for generic / any brand of the same composition / strength of the subject formulations, subject to fulfilment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturers/marketing companies.

(f) In case the retail price of any of the aforesaid formulations is not complied with, as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.

(g) Consequent to the fixation of retail price of such formulation as specified in column (2) of the above table with the strength and name of Manufacturer & Marketing Companies specified in the corresponding entries in Column (3) & (8) thereof, the price order(s) fixing the retail price of the formulation with specified strength for that Manufacturer & Marketing Companies as specified in corresponding entries in Column (2), (3) and (8) thereof, if any, issued prior to this notification, stand(s) superseded.

[PN/282/150/2026/F/F. No. 8(150)/2026/D.P./NPPA-Div.-II]

BHIVA RAM YADAV, Assistant Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAVINDER KUMAR Digitally signed by RAVINDER KUMAR Date: 2026.08.27 21:21:59 +05'30'